न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 258/2018 नया नं. 57/25

1 तुलछी देवी पत्नी स्व0 बनवारीलाल (फौत)
2 बलराम पुत्र बनवारीलाल
3 विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल
4 बृजी देवी पत्नी स्व0 ख्यालीराम
5 हंसराज पुत्र बृजलाल
6 राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल
7 रामेश्वर पुत्र बृजलाल
8 जयदेव पुत्र साहबराम
9 बलदेव सिंह पुत्र साहबराम
10 कृष्ण कुमार पुत्र गोपीराम
11 ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम
12 लालचन्द पुत्र गोपीराम
13 विजय कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासीगण धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

-:वादीगण

बनाम्

1 हजारीराम पुत्र स्व0 नानूराम
2 रजीराम पुत्र रेडाराम
3 मनफुल पुत्र रेडाराम
4 पृथ्वीराज पुत्र रेडाराम
5 अमीलाल पुत्र रतुराम (फौत)
5/1 गुड्डी देवी पत्नी अमीलाल
5/2 शंकरलाल पुत्र अमीलाल
5/3 महेन्द्र सिहं पुत्र अमीलाल
6 काशीराम पुत्र रतुराम
7 आदराम पुत्र रतुराम
8 मांगीलाल पुत्र स्व0 मनीराम
9 देवीराम पुत्र शिवलाल
10 जगदीश पुत्र शिवलाल
11 पृथ्वीराज पुत्र शिवलाल
12 मदनलाल पुत्र शिवलाल
13 हेतराम पुत्र तेजाराम (फौत)
13/1 कमला देवी पत्नी हेतराम
13/2 पवन गोदारा पुत्र हेतराम
13/3 मीतू गोदारा पुत्र हेतराम
14 जयदेव पुत्र स्व0 धनपतराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

15 गीता देवी पुत्री स्व. बनवारीलाल
16 राधा कृष्ण पुत्र तुलछाराम
17 सुरजीत सिंह पुत्र जण्टा सिंह
18 गुरदीप सिंह पुत्र जण्टा सिंह
19 मोदन सिह पुत्र जण्टा सिंह
20 कमलजीत कौर पत्नी बिन्द्र सिंह
21 शमनीत सिंह पुत्र बिन्द्र सिंह
22 अर्शप्रीत सिह पुत्र बिन्द्र सिंह
23 सर्वजीत कौर पत्नी भोला सिंह
24 गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह
25 यादविन्द्र सिंह पुत्र भोला सिंह
26 बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह
27 सरजीत कौर पत्नी श्री गुरदत्त सिंह
28 सुखविन्द्र कौर पत्नी विचित्र सिंह
29 रामनारायण पुत्र स्व0 सुरजाराम
30 मनफुल पुत्र स्व0 सुरजाराम
31 पुर्णराम पुत्र मनीराम
32 रणवीर पुत्र मनीराम (फौत)

32/1 माया देवी पत्नी स्व0 रणवीर

32/2 विनोद पुत्र रणवीर

32/3 मुकेश पुत्र रणवीर

32/4 सरोज पुत्री स्व0 रणवीर

33 महेन्द्र सिंह पुत्र बुटा सिंह
34 मोदन सिंह पुत्र बुटा सिंह
35 सरवन सिंह पुत्र दर्शन सिंह
36 हंसराज पुत्र हरीराम
37 जयदेव पुत्र हरीराम (फौत)

37/1 सरोज पत्नी जयदेव

37/2 सुभाष पुत्र जयदेव

38 भूप सिंह पुत्र हरीराम
39 प्रबन्धक ओसीबी, शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
40 एचडीएफसी बैक लिमिटेड, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
41 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार [illegible] हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :-

1 श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता वादीगण

2 श्री शमशेर सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

3 राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 41

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

-:निर्णय:-

दिनांक 07.02.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिस अनुसार यह है कि चक नम्बर 8 डी.एल. पी. खात संख्या 39/37, जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 पत्थर नम्बर 129/189 (10) किला नम्बर 25/.126, पत्थर नम्बर 129/190 (31) किला नम्बर 5/.202, पत्थर नम्बर 130/190 (32) किला नम्बर 1, 10, 11, 18 से 22, पत्थर नम्बर 130/191 (37) किला नम्बर 1/.228, 2/.228 कुल 2.808 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 33/20, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 20.600 हैक्टेयर तथा चक नम्बर 18 एमएमके के खाता संख्या 25/17, जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में 14.805 हैक्टेयर व चक नम्बर 8 डीएलपी के खाता सख्या 31/19 जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में 1.417 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादीगण को अर्सा दराज पूर्व बाहमी घराघरू बंट्वारे के अनुसरण में वादीगण के आधिपत्य व धारण की आराजी का विवरण अंकित करते घोषणा व खाता तक्सीम बाबत वाद पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। वाद पत्र में दिनांक 26.07.2021 को निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा निर्णय व डिक्री पारित करने उपरान्त जयदेव पुत्र श्री धनपत जो मूल वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 14 पक्षकार था, द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 04.11.2024 को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र की पत्रावली तलब की गई, तथा अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा पत्रावली में बहस सुनने का निवेदन किया तथा बहस में मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने वादपत्र प्राथमिक डिक्री किए जाने का निवेदन किया। वादीगण वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में उभयपक्ष कब्जा काश्त संबधी कोई ठोस साक्ष्य पेश नही कर पाए, इसलिए वादग्रस्त आराजी के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार हनुमानगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि चक 8 डी.एल.पी. खाता संख्या 39/37, जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 पत्थर नम्बर 129/189 (10) किला नम्बर 25/. 126, पत्थर नम्बर 129/190 (31) किला नम्बर 5/.202, पत्थर नम्बर 130/190 (32) किला नम्बर 1, 10, 11, 18 से 22, पत्थर नम्बर 130/191 (37) किला नम्बर 1/.228, 2/.228 कुल 2.808 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 33/20, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 20.600 हैक्टेयर तथा चक नम्बर 18 एमएमके के खाता संख्या 25/17, जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में 14.805 हैक्टेयर व चक नम्बर 8 डीएलपी के खाता सख्या 31/19 जमाबन्दी सम्वत 2074-77 ... कृषि भूमि में समस्त खातेदारों की उपस्थिति में विधि सम्मत पूर्ण सुनवाई का ... देकर समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व ...) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी-मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर, आगामी तारीख पेशी .... तक भिजवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:26 IST
Reason: Self Attested

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

([illegible]) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:45:26 IST
Reason: SelfAttested